रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2003/पौष 13, 1924

No. 4] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2003/PAUSA 13, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(ईपीजैड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2003

का.आ. 4(अ).—दिनांक 24 जनवरी, 2002 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना सं . 100(अ) का आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है।

अनुमोदन की प्रक्रिया से संबंधित पैरा-3 में उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 3.3 और 3.5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

3.3 सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर सकती है। यह सैद्धान्तिक अनुमोदन 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वैध अवधि को वाणिज्य विभाग द्वारा अलग-अलग मामलों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

3.5 बीओए द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए जाने के बाद वाणिज्य विभाग आवेदक, जिसे इसके बाद ''विकासकर्ता'' कहा गया है, को एक अनुमति पत्र जारी करेगा। यह अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिस समय के भीतर विकासकर्त्ता द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वाणिज्य विभाग द्वारा वैधता की अवधि को अलग-अलग मामलों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। बशर्ते, वाणिज्यिक, आवासीय और मनोरंजन सुविधाओं का अनुमोदन केवल तभी किया जाएगा जब आवेदक का ऐसी सत्ताओं की इक्विटी में न्यूनतम 26% हिस्सा होगा।

[सं. एफ. 2(1)/3/2001-ईपीजैड]

डी.के. मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(EPZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2003

S.O. 4(E).—In partial modification to this Department's notification bearing S.O. 100(E) published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 24th January, 2002, the Central Government make the following amendment.

In the said Notification in para 3 relating to procedure for approval, for sub-paragraphs 3.3 and 3.5 the following sub-paragraphs shall be substituted, namely :—

3.3 The Government may grant of in-principle approval to proposals for setting up of SEZs. The in-principle shall be valid for a period of 1 year. The validly period may be extended by the Department of Commerce on a case to case basis.

3.5 On acceptance of the proposal by the BOA, the Department of Commerce will issue a Letter of Permission to the applicant hereafter referred to as "developer". The approval shall be valid for a period of 3 years within which time effective steps shall be taken by the developer to implement the project. The validly period may be extended by the Department of Commerce on a case to case basis. Provided that commercial, residential and recreational facilities shall be approved only if the applicant has at least 26% equity in such entities.

[No. F.2(1)/3/2001-EPZ]

D.K. MITTAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.